प्रेषक

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजघाट परियोजना की उत्तर प्रदेश हिस्से हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1111/174/4700/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 29.07.2025 एवं शासनादेश संख्या-162/2022/001/1440/22-27-सिं-9-31एसएवी/15, दिनांक 16.08.2022 एवं शासनादेश संख्या-308/2023/001/1419/23-27-सिं-9-31एसएवी/15, दिनांक 26.07.2023 एवं शासनादेश संख्या-459/2024 /001/1298/24-27-सिं-9-31एसएवी/15, दिनांक 16.07.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजी लेखा पक्ष के लेखाशीर्षक-4700-14-051-13-00-24 के अन्तर्गत राजघाट परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश के हिस्से की धनराशि बेतवा नदी परिषद को उपलब्ध कराने हेतु प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0 रू0 10,00,00,000.00 (रूपये दस करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय परियोजना के स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। किसी भी दशा में परियोजनान्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यदि किसी कार्य के लिए दोहरी स्वीकृति का मामला प्रकाश में आता है तो उसे अविलम्ब शासन के संज्ञान में लाकर उपचारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त कर लिये जायेंगे। प्रश्नगत धनराशि परिव्यय के अन्तर्गत ही व्यय की जाएगी।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने, कार्य ससमय पूर्ण कराए जाने एवं स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही करने का का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा। अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का होगा।

(4) परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियां, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं का होगा तथा वें यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाए।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर परिव्यय के अन्तर्गत ही व्यय की जाएगी।

(6) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अधीन ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

का प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रश्नगत स्वीकृति का उपयोग परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाएगा ।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में इसका उत्तरदायित्व कार्यकारी खण्ड के अधिकारियों का होगा।

(9) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700140511300 राजघाट परियोजना की उ.प्र. के हिस्से की अवशेष धनराशि बेतवा नदी परिषद को उपलब्ध कराने हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

राजीव कुमार वत्स

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(4) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(5) मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(6) मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।

(7) अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जगराम यादव

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है